न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 12/2013
आरसीएमएस नं0 2013/00136
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

1. जग्गासिह पुत्र नवाब सिंह जाति सिकलीगर सा0 तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. भाग सिंह पुत्र नवाब सिंह –फौत
   2/1 जोरा सिह पुत्र भाग सिह जाति सिकलीगर वार्ड नं. 9 तलवाड़ाझील त0 टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. महला सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति रायसिख तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. पूर्ण सिह पुत्र सुन्दर सिंह जाति रायसिख सा0 तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमागनढ।
3. पाला सिह पुत्र सुन्दर सिंह जाति रायसिख सा0 तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमागनढ।
4. पाला सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति रायसिख सा0 तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमागनढ।
5. कलवन्त कौर पुत्री सुन्दर सिंह जाति रायसिख सा0 सा0 तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमागनढ।
6. सोमकौर पुत्री सुन्द सिंह जाति रायसिख सा0 तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमागनढ।
7. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी

–असल रेस्पोडेण्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. नैनकौर पत्नी नवाब सिंह जाति सिकलीगर सा0 तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमागनढ।
9. जगत सिह पुत्र नवाब सिह जाति सिकलीगर सा0 तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमागनढ।
10. मनजीत सिह पुत्र नवाब सिह जाति सिकलीगर सा0 तलवाड़ा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमागनढ।

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.02.2013

द्वारा उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

प्रकरण संख्या ––/2013

बअनवानी महला सिह बनाम नैनकौर

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय दिनांकः– 19.7.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 4 टीएलडब्ल्यू के प. नं. 233 / 286 (18) किला नं. 13, 18, 23 की 0.759 है0 भूमि की सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा ईकरारनामा के आधार पर नियमन किये जाने का कथन किया जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रश्गनत भूमि का नियमन रेस्पो0 सं0 1 ता 6 के हक में किये जाने का आदेश दिया, जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये लिहाजा अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 ता 10 की खातेदारी अभिलेख में दर्ज चली आ रही है तथा प्रश्गनत भूमि को परिपत्र दिनांक 06.10.2009 के आधार पर नियमन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किये जाने हेतु कोई क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। प्रथम नोटशीट दिनांक 02.01.2013 पर प्रश्नगत भूमि नैनकौर वगैरा के नाम अलॉटी रा0 भा0 स0 दर्ज है कि रिपोर्ट की गई जिसे बाद में काट कर दुरूस्त कर खातेदार शब्द दर्ज किया गया है। रिपोर्ट दिनांक 15.01.2013 में यह अंकित किया गया है कि आवंटन की मूल पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जबकि अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया गया है कि जमाबंदी में नैनकौर वगैरह के नाम दर्ज है। मूल पत्रावली के अनुसार भी इसी को भूमि आवंटित है जो जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त कथन विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में विरोधाभाषी अंकित हैं । प्रश्नगत भूमि से संबंधि अन्य विवाद भी विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन है तथा बेदखली का वाद विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था परन्तु उक्त समस्त तथ्यों को छिपाते हुए रेस्पो0 ने विचारण न्यायलाय के समक्ष प्रश्नगत भूमि के नियमन करने हेतु आवेदन कतई बदनियति पूर्वक पेश कर विचारण न्यायालय को मुगालते में रखकर आदेश प्राप्त किया है जो निरस्ती योग्य है। अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 8 ता 10 प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार अभिलेख में दर्ज है न्यायहित में उन्हें साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु विधिक प्रावधानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित होना था परन्तु बिना विधि प्रक्रिया अपनाये सीधे ही सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी किये जाने का आदेश पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4. अपीलांट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
5. विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट के आवेदन पत्र पर प्रश्नगत भूमि के इकरारनामा विक्रय पत्र दिनांक 16.06.81 के आधार पर नियमन करने के आदेश पारित किये हैं। प्रश्नगत भूमि नैनकौर आदि की मुताबिक जमाबंदी आवंटित की गई थी जिसकी सनद जारी नहीं हुई थी। निष्क्रान्त कृषि भूमि के निस्तारण परिपत्र दिनांक 06.10.2009 द्वारा ऐसे हस्तान्तरणों को नियमन कर विधि मान्य करने हेतु रेस्पेडेण्ट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मूल आवंटन राशि जरिये चालान जमा करवाई गई है। विचारण न्यायालय ने सिंचाई विभाग की पर्ची, पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत भूमि का प्राथी का कब्जा होना माना है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हस्तान्तरण को नियमन करने हतु आपत्ति का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में किया है जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है। विचारण न्यायालय ने पूर्ण प्रक्रिया अपना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/7/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ